भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3732

दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

महिला उद्यमिता मंच

3732. **श्रीमती कमलेश जांगडे:**

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) को केंद्रीय महिला उद्यमिता मंच के साथ किस प्रकार से समन्वित किए जाने की संभावना है; और

(ख) जांजगीर-चांपा और तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) को बढ़ावा देने और उपयोग करने के लिए स्थानीय समुदायों को किस प्रकार से शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) नीति आयोग ने 2018 में भारत में महिला उद्यमियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से एक सामूहिक (एग्रीगेटर) प्लेटफॉर्म के रूप में महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) लॉन्च किया था। 2022 में, डब्ल्यूईपी एक सार्वजनिक निजी भागीदारी में परिवर्तित हो गया, जो सूचना विषमता को दूर करके और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर समर्थन प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। एक सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल के रूप में, यह सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग करने का प्रयास करता है। विकास पथ के अपने अगले चरण में और अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए, डब्ल्यूईपी का लक्ष्य स्टेट चैप्टरों (राज्य शाखा) की स्थापना करके और हब और स्पोक फ्रेमवर्क के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार करके राज्य स्तर पर अपने अनूठे मॉडल को दोहराना है। डब्ल्यूईपी का पहला स्टेट चैप्टर तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है।

****